UPGB010044612026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं.–6 गौतमबुद्धनगर।
उपस्थित–श्री आशीष कुमार चौरसिया (एच०जे०एस०)
अपराधिक पुनरीक्षण सं०–194/2026

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी– ग्राम चिटहैरौ, पोस्ट दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर।

...प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती जयवती पत्नी राजवीर,निवासी ग्राम फुलपुर, थाना दादरी, पोस्ट दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शाशकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जिला गौतमबुद्धनगर।

.....विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह आपराधिक पुनरीक्षण न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) प्रथम/ए.सी.जे.एम., गौतमबुद्धनगर परिवाद सं.–36137/2023, पुष्पेन्द्र सिंह बनाम जयवन्ती,धारा–138 एन.आई.एक्ट, थाना दादरी, में पारित आदेश दिनांकित 07.04.2026 के विरूद्ध संस्थित किया गया।

2. निगरानी को शपथ–पत्र से समर्थित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता ने यह आधार लिया है कि माननीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.04. 2026 पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य व तथ्यो के विपरीत है माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का विधि अनुसार अवलोकन नही किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी / निगरानीकर्ता के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यो का गंभीरता से व अन्तगर्त 138 एन०आई०एक्ट० के अनुसार अवलोकन न करते हुए उक्त आलोच्य आदेश पारित कर दिया है। पीठासीन अधिकारी माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डी०) प्रथम ए०सी० जे०एम० गौतमबुद्धनगर के परिवाद संख्या 36137 सन 2023 पुष्पेन्द्र सिह बनाम जयवती अन्तगर्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम अन्तगर्त थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर के निर्णय आदेश दिनांकित 07.04.2026 विधि विरूध है तथा निर्णय के दोरान न्यायिक मस्तिक का प्रयोग नही किया गया है। निर्णय आदेश दिनांकित 07.04.2026 विधि एवं तत्थ के विपरित निगरानी कर्ता के विरूध जारी किया गया था जो खंडित होने योग्य है। निगरानीकर्ता का विपक्षी के साथ समझौतमानामा 07.04.2026 कों 1,00,000/–रू का चैक चैक संख्या 099755 देकर निम्न शर्तों

“Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in”

Digitally signed by Ashish Kumar Chaurasia
Date: 2026.08.14 16:28:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल हुआ था कि विपक्षी निगरानीकर्ता कों उक्त परिवाद कि बाबत अंकन धनराशि 6,00,000/– रू अदा करेंगा जिसमें सें प्रथम किस्त 1,00,000/–रू का चैक के द्वारा माननीय न्यायालय कें समक्ष प्राप्त किया था तथा शेष धनराशि 5,00,000/– रू को 25000/–रू की किस्त प्रत्येंक माह कि 1 से 10 तारीख के माध्य माननीय न्यायालय के समक्ष आकर पत्रावली पर भुगतान करेंगा उक्त समझौतें सें दोनो पक्ष संतुष्ट थें। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाकित 07.04.2026 केवल एक रूटिन आदेश है जिसकों पारित करतें समय पत्रावली का अवलोकन व समझौतेंनामा कि शर्तों कों नजर अंदाज किया गया है। उक्त समझौतेनामा में उक्त परिवाद वापस लेने के सम्बन्ध में कही कोई उल्लेख नही है। परिवादी द्वारा कभी भी अपने परिवाद को बल ना देने के कारण वापस लियें जानें का उल्लेख उक्त पत्रावली /समझौतेंनामा में कही नही किया गया है और ना ही उक्त परिवाद में निगरानीकर्ता कें किसी तरह कें कोई ब्यान अंकित कियें गयें है जिस कारण उक्त पारित आदेश अपने आप में गलत व खंडित होने योग्य है।अगर उपरोक्त पत्रावली / समझौतेनामा का पुर्ण रूप से अवलोकन किया जाये तो निगरानीकर्ता के विरूद्ध जारी आदेश दिनाकित 07.04.2026 गलत/खंडनीय होने योग है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.04.2026 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई किये जाने की याचना की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित को सुना, साथ ही प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.04.2026 का भी अवलोकन एवं परिशीलन किया।

4. विपक्षी संख्या–02 की ओर से विद्वान एडीजीसी (फौजदारी) द्वारा निगरानी पर तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विधि के अनुक्रम में है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया उचित आदेश है, जो स्थिर रहने योग्य है।

5. न्यायालय को निगरानी के स्तर पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मात्र अशुद्धता, अवैधता या कोई विधिक त्रुटि के सबंध में विचार करना है।

6. पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार सीमित प्रकृति का है। पुनरीक्षण न्यायालय अपीलीय न्यायालय की भांति साक्ष्यों का पुनर्मुल्यांकन नहीं कर सकता। केवल यह देखा जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि, गंभीर अनियमिता अथवा अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है अथवा नहीं।

7. प्रश्नगत आदेश की वैधानिकता को जांचने से पहले पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख किया जाना उचित होगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने **शिवमूर्ति यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2015(88) ए.सी.सी. 1493** में पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों को वर्णित करते समय यह अवधारित किया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार अपील के क्षेत्राधिकार की तरह बहुत विस्तृत नहीं होता है तथा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पुनरीक्षण न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना चाहिए जब विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक

"Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in"

अनियमितता या विधि या उसके प्रक्रिया में परिलक्षित त्रुटि या साक्ष्य के परिशीलन में त्रुटि की जाती है या विचारण न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में गलती की जाती है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2026 को यह आदेश पारित किया गया है कि " प्रार्थी/परिवादी द्वारा कथन किया गया कि अब दोनों पक्षों का आपसी समझौता हो गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पर बल न दिये जाने के कारण उक्त मामले को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।"

9. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.2026 का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिसमें पुनरीक्षणकर्ता/परिवाद के परिवाद को बल न दिये जाने के कारण अन्तर्गत धारा 257 द.प्र.सं. में समाप्त किया गया है।

10. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपनी पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2026 को पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध समझौतानामा की शर्तों के विपरीत पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार उभयपक्ष के मध्य दिनांक 07.04.2026 को समझौतानामा निष्पादित हुआ था, जिसके अनुसार कुल धनराशि ₹6,00,000/– का भुगतान किया जाना था, जिसमें ₹1,00,000/– प्रथम किस्त के रूप में चैक द्वारा दिया गया तथा शेष ₹5,00,000/– का भुगतान ₹25,000/– प्रतिमाह की किस्तों में किया जाना था।

11. पत्रावली पर उपलब्ध समझौतानामा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि समझौतानामा में यह शर्त अंकित है कि "**धनराशि की पूर्ण अदायगी के बाद द्वितीय पक्ष माननीय न्यायालय में विचाराधीन परिवाद को वापस लेगा।"** अतः पक्षकारों के मध्य हुआ समझौता तत्काल प्रभाव से परिवाद की समाप्ति अथवा वापसी का समझौता नहीं था, बल्कि परिवाद की वापसी को सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी की शर्त से आबद्ध किया गया था।

12. इस प्रकार दिनांक 07.04.2026 को जब समझौतानामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उस समय सम्पूर्ण ₹6,00,000/– की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ था। स्वयं पुनरीक्षणकर्ता के कथनानुसार मात्र ₹1,00,000/– का भुगतान किया गया था तथा ₹5,00,000/– की धनराशि भविष्य में ₹25,000/– प्रतिमाह की किस्तों में अदा की जानी थी। ऐसी स्थिति में समझौतानामा में निहित वह शर्त, जिसके अनुसार सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी के पश्चात परिवाद वापस किया जाना था, दिनांक 07.04.2026 को पूर्ण नहीं हुई थी।

11. ऐसी स्थिति में दिनांक 07.04.2026 को सम्पूर्ण धनराशि अदा न होने के बावजूद परिवाद को वापस मानते हुए समाप्त कर देना समझौतानामा की स्पष्ट शर्तों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण शर्त का समुचित परिशीलन न किया जाना आदेश में विधिक त्रुटि को दर्शाता है।

"Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in"

12. परिणामतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दिनांक 07.04.2026 को पारित प्रश्नगत आदेश विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक् परिशीलन के अभाव में पारित हुआ है और वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में पर्याप्त बल है।

आदेश

13. आपराधिक पुनरीक्षण सं०–194/2026, पुष्पेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती जयवती आदि स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 07.04.2026 को अपास्त किया जाता है।

14. प्रकरण को उसके मूल स्तर पर पुनर्स्थापित किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध समझौतानामा की समस्त शर्तों, विशेषतः सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी के पश्चात परिवाद वापस लिये जाने की शर्त, को दृष्टिगत रखते हुए विधि के अनुसार पुनः आदेश पारित करे। निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित हो। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.09.2026 को पेश हो।

15. तदोपरांत पुनरीक्षण पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष कुमार चौरसिया)
दिनांक-14.08.2026 **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-6,**
गौतमबुद्धनगर।
जे०ओ० कोड-यू०पी०-6360

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(आशीष कुमार चौरसिया)
दिनांक-14.08.2026 **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.-6,**
गौतमबुद्धनगर।
जे०ओ० कोड–यू०पी०–6360

“Check and verify the genuineness of the order through www. ecourts.gov.in”